झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

2369/वि.
13.07.17

संकल्प

विषय :- पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान/मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान/पेंशन रूपांतरण के आवेदन पत्र में संशोधन एवं Online आवेदन के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत सरकारी सेवक के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान/मृत्यु सह सेवानिवृति उपदान/पेंशन रूपान्तरण हेतु झारखण्ड पेंशन नियमावली 2000 में विहित पेंशन फारम-4 के द्वारा आवेदन करने का प्रावधान है ।

2. जनसंवाद/विभाग में प्राप्त आवेदन एवं विभिन्न स्तर से सेवानिवृत सरकारी सेवकों से प्राप्त शिकायत तथा महालेखाकार द्वारा कोषागारों के भ्रमण के दौरान वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में पेंशन एवं सेवानिवृति लाभों हेतु आवेदन की प्रक्रिया एवं भुगतान में कई कठिनाईयाँ दृष्टिगोचर हुई हैं ।

उक्त कठिनाईयों के निस्तारण हेतु Digital India एवं e-governance की तर्ज पर पेंशन फारम 4 को सरलीकृत करते हुए e-pension Form (ऑनलाईन पेंशन आवेदन) की प्रक्रिया का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

3. अतः सम्यक विचारोपरांत पेंशन के लिए आवेदन उसकी मंजूरी/स्वीकृति एवं प्रक्रिया के नियमों के संबंध में निम्न निर्णय लिये जाते है :-

(i) पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान/मृत्यु सह सेवानिवृति उपदान/पेंशन रूपान्तरण हेतु आवेदन e-pension Form में ऑनलाईन आवेदन (प्रारूप संलग्न) करना होगा ।

(ii) e-pension ऑनलाईन आवेदन Employee portal पर लॉग कराने एवं Pension Portal पर उसे स्वीकृत करते हुए स्कैंड अभिलेखों (Scanned Documents) को संलग्न कर स्वीकृत पेंशन प्रपत्र महालेखाकार कार्यालय को सरकारी सेवक के सेवानिवृति की तिथि के छः माह पूर्व ऑनलाईन उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय/विभाग का होगा जहाँ से सरकारी सेवक सेवानिवृत होगा ।

(iii) आवेदक/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने निबंधित Employee Portal में Login कर "Generate Pension Paper" आईकॉन द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर सकते है ।

(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) Pension Portal में Login कर प्राप्त आवेदन की संवीक्षा उपरांत आवश्यक प्रक्रिया को 20 दिनों के अंदर पूर्ण कर स्वीकृति हेतु स्वीकृति पदाधिकारी को ऑनलाईन अग्रसारित करेंगे ।

11.7.17

(v) स्वीकृति पदाधिकारी Pension Portal में Login कर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) द्वारा अग्रसारित ई-पेंशन आवेदन की संवीक्षा उपरांत स्वीकृत करते हुए 10 दिनों के अन्दर महालेखाकार कार्यालय को अग्रसारित करेंगे ।

(vi) महालेखाकार कार्यालय द्वारा e-PPO 15 दिनों के अन्दर निर्गत कर Pension Portal में उपलब्ध कराया जायगा, जिसे आवेदक, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) एवं कोषागार पदाधिकारी Login कर प्राप्त कर सकते हैं ।

(vii) विभाग/कार्यालय द्वारा सेवानिवृत सेवक की सेवानिवृति के 15 दिनों के अन्दर वेबाकी प्रमाण पत्र (No Dues Certificate) निश्चित रूप से निर्गत कर Online कर दिया जाएगा तथा कोषागार, संबंधित सरकारी सेवक/पेंशनर एवं महालेखाकार कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित कर दिया जायेगा ।

(viii) महालेखाकार से किसी कारणवश त्रुटि निराकरण हेतु वापसी के उपरांत भी उपर्युक्त कालावधि प्रभावी रहेगी ।

(ix) पेंशन हेतु Online शिकायत करने की सुविधा एवं इसके निवारण हेतु जिलावार/विभागवार शिकायत निवारण कोषांग का गठन किया जाय ।

4. 31 अगस्त, 2017 एवं उसके उपरांत वार्धक्य सेवानिवृति होने वाले मामलों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान/मृत्यु सह सेवानिवृति उपदान/पेंशन रूपान्तरण के आवेदन ऑनलाईन करना आवश्यक होगा ।

5. झारखण्ड पेंशन नियमावली 2000 में उल्लेखित पेंशन के लिए आवेदन उसकी मंजूरी/स्वीकृति एवं प्रक्रिया के नियमों को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 30.05.2017 की बैठक मद संख्या 13 में इसकी स्वीकृति दी गई है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय ।

11.7.2017

(अमित खरे)
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक :- 9/पें०(6)-01/2014 2369/वि०　　　राँची, दिनांक 13.07.17

प्रतिलिपिः- सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को e- गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु प्रेषित ।

11.7.2017

(अमित खरे)
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक :- 9/पें०(6)-01/2014 ..2369../वि० राँची, दिनांक .13:07:17

प्रतिलिपिः- महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11.7.2017

(अमित खरे)
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक :- 9/पें०(6)-01/2014 ..2369../वि० राँची, दिनांक 13:07:17

प्रतिलिपिः- माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय/सचिव झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप-कोषागार पदाधिकारी/पी०एम०यू० कोषांग के सहायक प्रोग्रामर को विभागीय Website पर upload करने हेतु योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11.7.2017

(अमित खरे)
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।